कार्यालय नगर पंचायत मसवासी जनपद रामपुर।

पत्रांक– 857 / न0प0म0 / 2019–20 दिनांकः– 21.11.2019

अल्पकालीन ई0 निविदा सूचना

समस्त संस्थाओं / ठेकेदारो को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2018–2019 व 2019–20 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अधीन प्राप्त धनराशि से निर्माण कार्य कराये जाने हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जानी हैं। टेण्डर / निविदा बेबसाईड **e-tenderup.nic.in** पर आन–लाईन देखी, अपलोड व डाउनलोड की जा सकती हैं। कार्य की धरोहर राशि डी0डी0 / एफ0डी0आर0 के रूप में जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मसवासी (रामपुर) के नाम से होगी, जो कि संलग्न की जायेगी, तथा निविदा मूल्य (जी0एस0टी0 सम्मिलित करते हुए) नगर पंचायत मसवासी (रामपुर) के खाता सं0–**13480100005210** बैंक ऑफ बड़ौदा मसवासी आईएफएससी कोड– **BARB0MASWAS** में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मसवासी के पक्ष में जमा करना सुनिश्चित करें। प्राप्त निविदाओं को अधिशासी अधिकारी के कक्ष में खोला जायोगा। ई–निविदा खोले जानें वाली दिनांक को सार्वजनिक अवकाश एवं विषम परिस्थिति होनें की दशा में अगले कार्य दिवस अथवा अन्य दिवस में खोली जाएगी। विवरण निम्नवत् है :–

1	वेवसाईड पर ई–निविदा की प्रकाशन की तिथि व समय	23.11.2019 को अपराहन 12 बजे
2	ई–निविदा डाउनलोड / अपलोड करने की प्रारम्भिक तिथि / समय	23.11.2019 अपराहन 12 बजे से
3	ई–निविदा डाउनलोड / अपलोड करने की अन्तिम तिथि / समय	29.11.2019 अपराहन 2 बजे तक
4	ई–निविदा को खोलने की तिथि व समय	29.11.2019 को अपराहन 3 बजे

क0 सं0	योजना का नाम	प्राकलन की अनुमानित धनराशि	जमानत धनराशि	निविदा मूल्य	कार्य अवधि
01	**कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना**				
1	गाटा संख्या 1248 मोहल्ला भूवरा वार्ड 02 में कान्हा गौशाला का निर्माण कार्य।	1,63,67,000.00	3,27,340.00	22,313.00 (जी0एस0टी0+ स्टे0 सहित)	1 वर्ष

शर्तेः–

1- निर्माण फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल का भुगतान तभी किया जाना सम्भव होगा जब विभागीय अधिकारी / लोक निर्माण विभाग / जांच समिति द्वारा कार्य मानक अुनरूप, व प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय द्वारा सन्तोष जनक होनें का आदेश दिया जाएगा।
2- निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य / आपूर्ति न कराये जाने अथवा अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लघंन करनें पर बिल में से धनराशि की कटौती तथा जमानत धनराशि जब्त करनें एवं अनुबन्ध निरस्त करनें का अधिकार अधोहस्ताक्षरी नगर पंचायत मसवासी में निहित होगा ।
3- किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी नगर पंचायत मसवासी का निर्णय अंतिम होगा और सम्बन्धित फर्म को मान्य होगा। किसी भी विवाद की स्थिति मे न्याय क्षेत्र जनपद रामपुर होगा ।
4- आपूर्ति का भुगतान समस्त जांच उपरान्त तथा शासन से समय वृद्धि पश्चात धन उपलब्धता के अनुसार ही किया जायेगा।
5- अपठनीय / अस्पष्ट स्कैन / ओवर राइटिंग, कापी टेण्डर के साथ अपलोड होनें पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
6- निर्माण, निविदा स्वीकृति के उपरान्त कार्याआदेश के साथ अवशेष 8 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करते हुए अनुबन्ध पत्र की औपचारिकताओं की पूर्ति करना अनिवार्य होगा।
7- ठेकेदार को निविदा मूल्य के बराबर कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8- सशर्त निविदा मान्य न होगी।
9- निविदा तकनीकी बिड एवं वित्तीय विड अलग–अलग डालनी होगी तथा तकनीकी विड सही पाये जाने पर ही वित्तीय बिड खोली जायेगी। ठेकेदार / फर्म को टेण्डर / निविदा के साथ चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र (वैधता कार्य की अवधि तक) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10- उक्त निर्माण कार्य हेतू ठेकेदार का पंजीयन न्यूनतम बी कटैगरी अर्थात हैसियत 40,00,000.00 (चालीस लाख) रूपये से अधिक की होनी अनिवार्य हैं।
11- निविदा के साथ 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि जमा करना तथा कार्यआदेश के समय तत्काल शेष 08 प्रतिशत धरोहर धनराशि जमा करते हुये अनुवन्घ पत्र की औपचारिकताये का पूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12- ठेकेदार या संस्था नगर पंचायत मसवासी का वकायेदार व किसी भी विभाग से ब्लैक लिस्टेड नही होना चाहिये।
13- ठेकेदार / संस्था को शासन द्वारा समय≤ पर जारी किये शासनादेशो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
14- टेण्डर के साथ गत 3 वर्षो की आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य हैं।

(अवधेश मिश्र)
अधिशासी अधिकारी

(हरिओम मौर्य)
अध्यक्ष

नगर पंचायत मसवासी जनपद रामपुर।

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), रामपुर

2. सम्पादक दैनिक मुरादाबाद को इस आशय से कि वह उक्त सूचना का कम से कम स्पेस में सुस्पष्ट स्थान पर प्रकाशन उपरान्त भुगतान हेतु अपना बिल प्रस्तुत करें ।

3. प्रभारी एन0आई0सी0 रामपुर को सीडी सहित इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना का अपलोड करनें का कष्टकरें।

4..नजारत नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

5.समस्त अधिशासी अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायतें जनपद रामपुर

6.कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु

अधिशासी आधिकारी
नगर पंचायत मसवासी